International Journal of Multidisciplinary Research in Social Science

ISSN: 2455-7943

/keZfujis{k Hkkjrh; lLd`fr vkSj Hkkjr esa vYila[;dksa* dk jktuhfrd ,oa Lkkekftd ifjn`';

lqnhi dqekj flag*

'kks/k&lkj

भारतीय संस्कृति को सहिष्णु एवं सर्वग्राही की संज्ञाप्राप्त है इसी संस्कृति के आँचल में सभी धर्मों, जातियों, वर्गों, रंगों के व्यक्तियों को 'वात्सल्य' एंव सम्मानपूर्वक आश्रय प्राप्त हुआ है हमारा देश सांस्कृतिक विविधताओं से परिपूर्ण है हिन्दू जैन 'बौद्व, सिख' आदि धर्मों की जडें भारत भूमि में ही निहित है। शक, कुषाण, पद्धव, हूण, यवन आदि जातियों ने भारत के सांस्कृतिक संघात से अपने पृथक अस्तित्व को खो दिया, तथापि ईसाई, इस्लाम आदि धर्मावलम्बी अपनी पृथक संस्कृति को बनाये रखने में सफल रहे यद्यपि इन धर्मों के अनुयायी सर्वदा अल्पसंख्यक रहे, इतिहास के हर युग में हमारे समाज में विविधता में एकता का स्वरूप दृष्टिगोचर होता रहा। काफी लम्बे इतिहास के अंदर, भूगोल ने भारत को जो रूप दिया उससे वह एक ऐसा देष बन गया जिसके दरवाजे बाहर की ओर से बंद थे। बाहर से लोगों के बड़े–बड़े झुंड भारत में आये एवं भारतीयों को राजनैतिक रूप से सत्ता से वंचित करते गये। आज यही भारत में अल्पसंख्यकों का दर्जाप्राप्त किये हुये हैं। वैसे तो भारत में बसने वाली कोई भी जाति यहदावा नहीं कर सकती कि भारत के समस्त मन और विचारों पर उसी का एकाधिकार है भारत आज जो कुछ भी है उसकी रचना में भारतीय जनता के प्रत्येक भाग का योगदान है यदि हम इस बुनियादी बात को समझ नहीं पाते तो फिर हम भारत को भी समझने में असमर्थ हैं। समाज में कभी बहुसंख्यक एवं अल्पसंख्यक का स्पष्ट विभेद देखने में नहीं आया। किन्तु अंग्रेजों के आगमन के साथ ही भारत में सौहार्द एवं बन्धुत्व पर आधारित इस परिदृश्य पर विराम सा लग गया। (वैसे तो इसके पूर्व भी मुगल शासन अवधि में धर्म आधारित हिंसा एवं अराजकता अपवाद स्वरूप उपस्थित रही।)

dqath 'kCn% सहिष्णु,सर्वग्राही,अल्पसंख्यक', धर्मनिरपेक्ष, साम्प्रदायिकता,हृदयंगम।

---

*शो/ा छात्र, पीएच0 डी0, समाजशास्त्र, 711 / 2 ए0बी0नगर, उन्नाव, उत्तर प्रदेश, भारत

अंग्रेजों ने भारत में अपने शासन को स्थायित्व प्रदान करने के क्षुद्र उद्देश्य से प्रेरित होकर भारतीय राष्ट्रीयता को विखंडित करने का प्रयत्न किया तथा इसमें उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई। उन्होंने भारतीय समाज को कई भागों में विभक्त करके धार्मिक दृष्टि से अल्पसंख्यक वर्गों के पृथक हितों पर बल देते हुए उनमें अलगाववाद के बीज का रोपण किया। सर्वप्रथम मुस्लिम वर्ग के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपना कर एवं उसके लिये साम्प्रदायिक निर्वाचन की ब्यवस्था कर उसे भारतीय राष्ट्रीयता की मूल धारा से पृथक कर दिया गया तत्तपश्चात ईसाई सिख आदि धर्मों को भी प्रतिगामी राष्ट्रीयता की ओर धकेलने का प्रयत्न किया गया इससे इस राष्ट्र विरोधी राजनीति का एक स्वाभाविक निष्कर्ष निकलकर आया एंव वह था *ikfdLrku* तत्पश्चात स्वाधीन भारत में इस तथ्य को संकल्पित किया गया कि राष्ट्र को धार्मिक विभेदों से पृथक कर प्रगति के पथ पर अग्रसर किया जायेगा किन्तु ब्यवहार में स्थति यह रही कि अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक के मुद्दे से हम कभी पृथक न रह सके तथा यह मुद्दा सदैव ही ज्वलंत राष्ट्रीय समस्या बना रहा। तुच्छ स्वार्थों एवं सत्ता के लिये खेली जाने वाली राजनीति ने स्थिति को और विकृत बना दिया है। एक प्रश्न प्रबलता के साथ उपस्थित होता है वह यह कि आखिर राष्ट्र को बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक जैसे वर्गों में विभाजित करने का औचित्य क्या है?इसके लिए 'अल्पसंख्यक' शब्द को समझने का प्रयत्न किया जाये। क्योंकि यह शब्द वस्तुतः जितना सरल प्रतीत होता है। व्यवहार में उतना ही पेचीदा तथा अस्पष्ट है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 29 तथा 30 में अल्पसंख्यकों के लिये विशेष प्रावधानों का उल्लेख अवश्य आया है। तथापि अल्पसंख्यक शब्द की कोई परिभाषा नहीं दी गई।सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि अल्पसंख्यक का तात्पर्य किसी भी राष्ट्र के ऐसे लघु समूह से है जो स्वरूप तथा संस्कृति की दृष्टि से भिन्नता रखता है। भिन्नता का आधार जाति, धर्म, भाषा आदि कुछ भी हो सकता है। सन् 1957 में जब ^dsjy f'k{kk fo/ks;d* के सम्बन्ध में ^vYila[;d* का विवाद उठा था, तब सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर निर्णय देते हुये कहा था कि – ऐसा समूह जिसकी संख्या 50 प्रतिशत से कम हो अल्पसंख्यक की श्रेणी में रखा जा सकता है। साथ ही न्यायालय द्वारा यह भी कहा गया कि 50 प्रतिशत के आधार पर अल्पसंख्यकता का यह निर्णय राज्य की जनसंख्या के सन्दर्भ में किया जाना चाहिए। भारत में सन् 2011की जनगणना के आधार पर विभिन्न धर्मों के अनुयायियों की संख्या तथा इनका कुल जनसंख्या में 47 प्रतिषत है। हमारे संविधान निर्माता भी 'अल्पसंख्यकों' से सम्बन्धित समस्या से परिचित थे। तथा संविधान सभा में यह मुद्दा काफी चर्चित एवं विवादित रहा था।मौलाना आजाद, जैसे राष्ट्रीय नेता ने संविधान सभा में मुसलमानों के लिए सामान्य निर्वाचन पद्धति के साथ आरक्षित स्थानों की भी माँग की थी। किन्तु सरदार बल्लभ भाई पटेल इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं थे। दूसरी ओर राजकुमारी अमृतकौर तथा बेगम एजाज रसूल जैसे अल्पसंख्यक वर्गों के प्रतिनिधियों ने यह दृष्टिकोण प्रस्तुत किया कि भारत के सभी धार्मिक वर्ग भारत राष्ट्र के अभिन्न अंग है। तथा धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार की रियायतें राष्ट्रीय एकता के प्रतिकूल सिद्ध होंगी।यद्यपि धर्म के आधार पर व्यवस्थापिका में आरक्षण का प्रस्ताव तो अस्वीकृत कर दिया गया। किन्तु अल्पसंख्यकों में सुरक्षा का भाव पैदा करने के उद्देश्य से संविधान में कुछ प्रावधान अवश्य किये गऐ इन्हें दो भागों में विभाजित कर सकते हैं।

ISSN : 2455-7943 IJMRSS

(1) सामान्य प्रावधान (2) विशेष प्रावधान

1. *lkekU; izko/kku*– इसके अर्न्तगत उन सांविधानिक उपबंधों का समावेश किया जाता है। जिनका विधान किसी वर्ग विशेष के लिए न होकर सम्पूर्ण नागरिक वर्ग के लिए है। इसके अर्न्तगत निम्नलिखित प्रावधान सम्मिलित हैं।

✓ अनुच्छेद – 14 में सभी व्यक्तियों के लिए 'विधि के समक्ष समानता' को उपबंधित किया गया है। इसके अर्न्तगत विधि द्वारा धर्म, जाति आदि आधारों पर कोई भेद भाव नहीं किया जा सकता।

✓ अनुच्छेद – 15 बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों को सार्वजनिक वस्तुओं एवं सम्पत्तियों के प्रयोग की अनुमति देता है।

✓ अनुच्छेद – 16 में प्रावधान किया गया है कि सभी व्यक्तियों को सरकारी पदों पर नियुक्ति के समान अवसर प्राप्त होगें एवं इस सम्बंध में धर्म, जाति, मूलवंश, जन्म स्थान आदि आधारों पर कोई भेद भाव नहीं किया जायेगा।

✓ अनुच्छेद – 25 सभी व्यक्तियों के लिए धार्मिक स्वतन्त्रता उपबंधित करता है जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म मानने उसका पालन करने एवं शान्तिपूर्वक प्रसार करने की स्वतन्त्रता होगी।

✓ अनुच्छेद – 26 में प्रत्येक धर्म के उपासको को धार्मिक संस्थाओं एंव दान से सम्बन्धित सार्वजनिक सेवा संस्थाओं की स्थापना उनके पोषण धार्मिक निजी मामलो का स्वयं प्रबंध करने का अधिकार तथा चल एवं अचल संम्पत्ति के अर्जन स्वामित्व तथा विधि के अनुसार उनका अनुसार उनका संचालन करने का अधिकार दिया गया है।

✓ अनुच्छेद 27 में किसी भी व्यक्ति को ऐसे करो का संदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा जिनके आगम किसी विशिष्ठ धर्म या धार्मिक सम्प्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण से विनियोजित किये जाते हैं।

✓ अनुच्छेद 28 में प्राविधान किया गया है कि राजकीय निधि से संचालित शिक्षण संस्था में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नही दी जायेगी तथा इसी प्रकार राज्य द्वारा अनुदानित किसी शिक्षण संस्था में किसी भी व्यक्ति को धर्म विशेष की शिक्षा ग्रहण करने के बाध्य नहीं किया जा सकेगा।

✓ अनुच्छेद 326 के अनुसार धर्म, मूलवंश, जाति अथवा लिंग के आधार पर कोई व्यक्ति निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किये जाने के अपात्र होगा साथ ही इस आधार पर किसी विशेष नामावली में सम्मिलित किये जाने का दावा भी नहीं कर सकेगा वस्तुतः इन प्राविधानों के द्वारा अल्पंसख्यक वर्ग के समानता तथा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का स्वतः ही पुष्टिकरण हो जाता है।

2. *fo'ks"k izko/kku&* इनका तात्पर्य उन सांविधानिक उपबन्धता से है, जिनकी व्यवस्था अल्पसंख्कों में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करने के उद्देश्य से विशेष रूप से उनके लिये की गयी है। इसके अन्तर्गत निम्नलिखित प्रावधान सम्मिलित हैं।

- ✓ संविधान के मौलिक अधिकारों के अध्याय भाग पअ के तहत अनुच्छेद 29(1) में प्राविधान किया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी भी भाग के निवासी को अपनी विशिष्ठ भाषा तथा संस्कृति को बनाये रखने का अधिकार होगा ।

इसी प्रकार अनु0 29 (2) में व्यवस्था दी गयी है कि राज्य द्वारा मान्यता अथवा वित्तीय अनुदान प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्थान में धर्म, जाति, भाषा, वंश आदि के आधार पर किसी बालक का प्रवेश निषिद्व नही किया जा सकेगा।

(11) अनु0 30 (1) के अनुसार सभी अल्पसंख्यको चाहे वे भाषा पर आधारित हो अथवा धर्म पर, अपनी रूचि की शिक्षण संस्थाऐं स्थापित करने का तथा उनका प्रबंध करने का अधिकार दिया गया है। अनु 30 (2) द्वारा यह व्यवस्था की गयी है कि धर्म अथवा भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध के आधार पर राज्य द्वारा शिक्षण संस्थानो को वित्तीय अनुदान देने मे कोई भेदभाव नही किया जायेगाा। यद्यपि राज्य को इस संम्बन्ध में युक्तियुक्ति प्रतिबंध लगाने का अधिकार दिया गया है। तथापि राज्य ऐसी कोई शर्त अधिरोपित नही कर सकता जिसे स्वीकार करने पर अल्पसंख्यक समुदाय अनुच्छेद 30 (1) द्वारा प्रदत्व अधिकारों से वचिंत हो जाये।

उदाहरण (केरल शिक्षा विधेंयक वाद – ए0 आई0 आर0 1968 एस0 सी0 1956)इसके साथ ही 44 वे संविधानिक संशोधन के अन्तर्गत यह स्पष्ट कर दिया गया है। कि इससे अल्पसंख्यको के अपनी रूचि की शिक्षण संस्थाओ की स्थापना एंव उसके संचालक के अधिकार का कोई उल्लंघन नही होगा। संविधान के अध्याय 16 के अन्तर्गत आग्ल – भारतीय समुदाय के सम्बन्ध में विशेष उपबंध किये गये है। अनुच्छेद 331 में प्रावधान है कि लोक सभा में इस समुदाय का प्रतिनिधित्व न होने पर राष्ट्रपति इस वर्ग के दो सदस्यो को नियुक्त कर सकता है।

इसी प्रकार अनुच्छेद 333 में राज्य विधान सभाओं में इस प्रकार की स्थिति में इस वर्ग कें एक सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान था अनुच्छेद 336 में कतिपय सेंवाओ में आंग्ल –भारतीय समुदायो के लिये विशेष उपबंध किये गये है। अनुच्छेद 337 में आंग्ल –भारतीय समुदाय के लाभ हेतु शिक्षण अनुदान कें लिये विशेष उपबंधो का प्राविधान है।(उपरोक्त दोनो अनुच्छेद 336 एंव 337 अब समाप्त कर दिये गये है।)

इसके अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 350 (ख) के अर्न्तगत भाषा अल्पसंख्यको के लिये विशेष पदाधिकारी की व्यवस्था की गयी है।उपरोक्त संवैधानिक उपबंधो के अतिरिक्त समय – समय पर सरकार द्वारा तथाकथित कल्याण के अनेक कार्यक्रम चलाये जाते रहे है। जिसके अन्तर्गत साम्प्रदायिक सौहार्द अल्पसख्यकों में विश्वास की भावना उत्पन्न करना तथा उन्हे राष्ट्र की मुख्य धारा से जोडना, विविध सार्वजनिक पदों तथा संस्थाओ में अल्पसंख्यको के प्रतिनिधित्व की सुनिश्चित करना उनके लिये परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था करना तथा रोजगारन्मुखी शिक्षा का प्रावधान करना आदि कार्यक्रम शामिल है।साम्प्रदायिक अशान्ति तथा अस्थिरता वाले क्षेत्रों में विशेष न्यायलय स्थापित किये गये, राज्य पुलिस बलों की चयन सिमितियो, विभिन्न आयोगो मे प्रतिनिधित्व पर ध्यान दिया जाता रहा है।

इसके अतिरिक्त मंत्रिमंण्डलो में सभी अल्पसंख्यक वर्गो को तथा सम्भव प्रतिनिधित्व प्रदान करने की एक राजनीतिक परम्परा सी स्थापित हो गयी है।

इन सबके अतिरिक्त *^vYil[;d vk;kx** के गठन का भी प्रावधान किया गया है।जनवरी 1978 में सरकार द्वारा साम्प्रदायिक सौहार्द एंव धर्म निरपेक्ष परम्पराओं के संरक्षण के नाम पर इस आयोग का गठन किया गया है धार्मिक दर्जा दिया गया है यह आयोग वार्षिक प्रति–वेदन प्रस्तुत करता है। जिसे उसके द्वारा अनुशंसित प्रस्तावो सहित संसद के पटल पर रखा जाता है एंव इस पर विचार– विमर्श किया जाता है।वस्तुतः आज अल्पसंख्यक एवं उनकी तथा कथित असुरक्षा का प्रश्न एक चुनावी मुद्दा बन चुका है तथा अल्पसंख्यको के अधिकारों के नाम पर सत्ता की दौड जारी है अल्पसंख्यको के कल्याण के नाम पर तुष्टि–करण की नीतियाँ अपनाई जा रही है। तुष्टिकरण की यह नीति अपने चरम रूप में कितनी घातक हो सकती है यह तो विभक्त भारत मां हमें नित अपनी पीडा को मर्मान्तक मूक शब्दों में अभिव्यक्त कर रही है। यह एक खेदजनक तथ्य है कि अतीत की विकृतियो के कुत्सित परिणामो से हमने कोई शिक्षा नही ग्रहण की। राजनीतिक दलो मे अल्पसंख्यको को अपना वोट बैक बनाने की प्रतिस्पर्धा उपस्थित है। एंव इस प्रतिस्पर्धा में राष्ट्रीय हित को दृष्टिगत नही गया है। मुस्लिम वर्ग को प्रसन्न करने के लिये कभी उर्दू को राजभाषा बनाने की घोषणा की जाती है कभी शाहबानो विवाद में न्यायलय के प्रगतिशील निर्णय को कुचल दिया जाता है। संविधान निर्माण के इतने लम्बे समयान्तराल के बाद भी अभी *leku ukxfjd lfgrk* लागू करने का समय नही आया है। यह सब किस दिशा की ओर संकेत करते है? इन सबसे बढकर सरकार द्वारा विशेष धर्माविलम्बियों को पेंशन देने की योजना तो हमारे धर्मनिरपेक्ष ढाँचे पर ही प्रश्न चिन्ह लगाती है। इसी तुष्टिकरण के कारण कश्मीरी विस्थापितों को आज तक उनका स्थान नही मिल पाया है।*fofiu pUn* का यह कथंन इस स्थिति को स्पष्ट कर देता है।*ß/kekfujis{k ykx vYil[;dk dh lkEinkf;drk dh mruh vkykpuk ugh dj ikrA ftruh rh[kh vkykpuk o cgql[;d lEink; dh djrs gSAÞ*

इसी तरह से दलित ईसाईयों को आरक्षण दिये जाने का प्रस्ताव हमारे राजनीतिक वर्ग को ब्रिटिस शासकों की श्रेणी में ले जाता है। इसी प्रकार 1978 में लोक सभा में *vkeidk'k R;kxh* द्वारा प्रस्तुत */keZ Lor= fo/ks;d* जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्षतः उत्प्रेरणा या प्रवचन द्वारा या किन्हीकायरतापूर्ण साधनों द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को एक धार्मिक विश्वास से दूसरे में परिवर्तित करने पर दण्ड की व्यवस्था की गयी थी, जिसे सरकार ने ईसाई समाज के विरोध को देख कर पारित नही किया कितने आश्चर्य की बात है कि जिस पृथकतावादी नीति के लिये हम आज अंग्रेजों की निन्दा करते हैं उन्हे हमारा राजनीतिक वर्ग सहजता से अपनाता जा रहा है।वस्तुतः इस प्रकार की राजनीति का राष्ट्र पर क्या प्रभाव पड़ता है इसकी कल्पना भी कष्टदायी है आज भारत में धार्मिक उन्माद से ग्रसित अनेक तत्व अल्पसंख्यकों के विशेषाधिकार का प्रयोग कर पाने में सफल हो रहे हैं। यह भी कहा जाता है कि हिन्दुओं को ईसाई बनाने के लिये प्रति वर्ष करोड़ों रूपये विदशों आ रहा है एवं हिमालय (की बहनों) राज्यों–नागालैण्ड, मिजोरम, मणिपुर आदि पिछड़ प्रान्तों में ईसाई की संख्या निरन्तर बढ़ रही है साथ ही इन क्षेत्रों में

अलगाववाद की प्रवृत्ति भी तेज हो रही है यह सब हमारे लिये गहन राष्ट्रीय चिन्ता का विषय है। अब एक मूल्यांकन देश में विद्यमान अल्पसंख्यकों की स्थिति का करें। वस्तुतः आज अल्पसंख्यकों को कानून द्वारा न केवल समान अधिकारों तथा संरक्षण की प्रत्याभूति प्राप्त है अपितु वे देश के राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में भी सक्रियता से भाग ले रहे है। भारत के सर्वोच्च पदों पर समय समय पर अल्पसंख्यक सुशोभित भी करते आ रहे हैं।मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने डा0 एम0 इस्माइल फारूखी बनाम यूनियन आफ इण्डिया के वाद में निर्णय देते हुए कहा था–

ßfgUnokn ,d lfg'.kq vkLFkk gS tks bl Hkwfe ij bLYkkeokn] bZlkbZokn] tSuokn] cq)okn] fl[kokn vkfn lHkh dks leFkZu nsrh gS] fgUnqRo 'kCn Hkkjrh;dj.k dk gh i;kZ; gSA vLrq fgUnqRo "kCn dh vLi"Vrk dh vkM+ esa fgUnw lekt dks rkMus dh ;g jktuhfr vR;Ur dqfRlr ,oa jk"Vfojks/kh gSA

ऐतिहासिक रूप से कहा जा सकता है कि अल्पसंख्यकों की राजनीति ने न जाने कितने देशों का विघटन कर दिया – जैसे – द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व चेकोस्लोवाकिया को अपना अस्तित्व खोना पड़ा विश्व का अन्य भागों जैसे बोस्निया, रवांड़ा, जॉर्जिया आदि के खूनी संघर्ष भी अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक के मुद्दे पर ही आधारित हैं।अतःकहनेकीआवश्यकता नहीं कि आगे चल कर राष्ट्र को इस राजनीति का क्या मूल्य चुकाना पड़े?अतःसतर्कता अनिवार्य विषय है अल्पसंख्यकों को इस समस्या के सन्दर्भ में निम्नलिखित सुझाव भी अपनाऐ जा सकते हैं।

1. अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक के इस कृत्रिम विभाजन का पूर्णतः अंत कर प्रत्येक नागरिक में यह भाव जाग्रत किया जाये कि वह भारत का अभिन्न अंग है उसका प्रथम धर्म भारतीयता है।

2. हमारे संविधान के अनुसार – सामान्य प्राविधानों के अन्तर्गत अल्पसंख्यकों के अधिकार स्वतः ही सुरक्षित हो जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति तथा वर्ग को धर्म पालन तथा अपनी भाषा तथा लिपि को बनाये रखने का अधिकार हो किन्तु इस सन्दर्भ में वि"ोषाधिकारों को समाप्त कर देना चाहिए।

3. सरकार स्वयंसेवी संगठनों द्वारा विविध सांस्कृतिक आयोजनों प्रदर्शनियों एवं अन्य कार्यक्रमों द्वारा समाज में धार्मिक समन्वयता को प्रेरित किया जाये।

4. सरकार द्वारा सभी क्षेत्रों में पारदर्शिता की नीति का अनुसरण किया जाये ताकि समाज के सभी वर्गों में विस्वास एवं सामंजस्य की भावना बनी रहे।

5. न्यायालय द्वारा सतर्कता एवं निष्पक्षता के साथ राजनीति के किसी भी तुष्टीकरण जैसे प्रयत्न को हतोत्साहित किया जाये, एवं उसका निषेध किया जाये।

संख्या के आधार पर धर्म को विभाजित करने तथा धर्म शब्द के अनुचित उपयोग द्वारा सामाजिक तनाव पैदा करने जैसी किसी भी स्थिति का बहिष्कार करना होगा। अंततः आवश्यकता इस तथ्य को हृदयंगम करने की है –ßge iFke ,o vfUre :i l Hkkjrh; g rFkk ge Hkkjrh; gku ij xo gPA अल्पसंख्यक बहुसंख्यक शब्दों का प्रयोग न करके समाज के सभी वर्गों के हित का हित सर्वोपरि मानकर कार्य करे जा सकते हैं। आज के भारत में प्रमुख रूप से अल्पसंख्यक का दर्जा हासिल करने वाले मुस्लिम है जिनका तुष्टि करण करके सभी राजनैतिक दल सत्ता हासिल करना चाहते हैं। आरक्षण और जातिवादी राजनीति के चलते हिन्दू बहुसंख्यक आपस में बंटे हैं। जबकि अल्पसंख्यक मुस्लिम नेताओं का दावा है कि मुसलमान मतदाता लोकसभा की सौ सीटों पर एवं विधान सभा की एक हजार सीटों पर निर्णायक भूमिका से गुजरते हैं इस प्रकार मुस्लिम समुदाय अब बहुसंख्यकों पर पूरी तरह भारी पड़ते जा रहें हैं। अब तो वह दिन दूर नहीं जबभारत में हिन्दू ही अल्पसंख्यक कहा जायेगा। अल्पसंख्यक मुस्लिमों को लुभाने की योजना सम्बंधित सच्चर रिपोर्ट सन् 2006 में संसद में पेश की गयी एवं मई 2007 में ही सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया। तथा इन शिफारिशों पर काम करने के लिए दस हजार करोड़ खर्च करने की योजना भी बना डाली है। यू0 पी0 ए0 सरकार मुस्लिम तुष्टिकरण के अनेक कदम उठा चुकी है। इसमें अल्पसंख्यक मामलों का अलग मंत्रालय बनाना, अल्पसंख्यक वित्त निगम का बजट बढ़ा कर एवं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मुस्लिम आरक्षण करना, जामिया मिलिया इस्लामिया को अल्पसंख्यक संस्थान दर्जा देना, आन्ध्र पंदेश में सरकारी नौकरियों में मुस्लिमों को आरक्षण देना उर्दू विकास को दस करोड़ का अनुदान, उर्दू शिक्षकों की भर्ती, फारसी शिक्षकों को प्राथमिकता एवं मुस्लिम लाभार्थ अन्य मद में 100 करोड़ खर्च देना तथा श्रीमती सोनिया गाँधी के निर्देश पर महाराष्ट्र की सरकार ने सन् 1993 के मुम्बई बम–काण्ड की जाँच के लिए गठित Jhd".k vk;kx की सिफारिशें लागू करने का निर्णय लियाथा । स्मरण रहे कि मुम्बई बम–काण्ड में जिन आरोपियों को मृत्युदण्ड दिया गयावे सभी 11 व्यक्ति मुस्लिम हैं इस प्रकार राजनीतिज्ञों एवं राजनीति दलों की मुस्लिमों के प्रति बढ़ती हमदर्दी एक लाइलाज बीमारी बन चुकी है।राष्ट्रीय हित तुष्टिकरणकीराजनीति के सामने बौना हो गया है।

अतएव, आज हमारे सामने अल्पसंख्यकों का जो प्रश्न है, वह केवल सैद्धान्तिक नहीं है उसका संबंध हमारे जीवन एवं राष्ट्र की सारी प्रकियाओं से जुड़ा है और इसके समुचित निदान और समाधान पर ही हमारे राष्ट्र का भविष्य निर्भर करता है।

l UnHk

1. डा0 बसंतीलाल बाबेल भारत का संविधान सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स इलाहाबाद पृ0 सं0 179–189।

2. रामधारी सिंह दिनकर 'संस्कृति के चार अध्याय' लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद पृष्ठ संख्या 226 ।

3. डा0 चन्द्रमा सिंह, डा0 वीरेन्द्र सिंह यादव, भारतीय मुसलमान मिथक एवं यथार्थ, राधा पब्लिके''ान नई दिल्ली संपादकीय ।

4. केरल शिक्षा विधेयक सन् 1957 ।

5. भारत की जनगणना सेन्सस इंडिया 2001।

6. डॉ0 एम0 इस्माइल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया SC . AIR.।

7. बी0 जी0वर्गीज़ सुरक्षा और सामाजिक आक्रोश प्रभात प्रकाशन दिल्ली पृ0 सं0 179–182।

International Journal of Multidisciplinary Research in Social Science :: ISSN : 2455-7943 IJMRSS ॥ विद्वान्सर्वत्र पूज्यते ॥